

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर

## —:कार्यालय आदेश:—


राज्य में विधालयी खेलों के स्तर का उन्नयन करने की दृष्टि से निम्नांकित विधालयों में उनके नाम के आगे अंकित खेल एवं खिलाड़ियों की उल्लेखित संख्यानुसार खेल विशेष में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सत्र पर्यन्त खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों की योजना गत वर्ष की भाँति इस सत्र 2018-19 में यथावत रहेगी :-

क्र.स	विधालय जहाँ सत्र पर्यन्त केन्द्र संचालित हैं	खेल का नाम	खिलाड़ी सं.
1	रा. उ. मा. वि. नोहर (हनुमानगढ़)	फुटबाल	20
2	रा. उ. मा. वि. बागोर (भीलवाड़ा)	वॉलीबाल	15
3	रा. श्री कल्याण उ. मा. वि. ,सीकर	बास्केटबाल	15
4	रा. उ. मा. वि. राजगढ़ पोस्ट सादुलपुर (चूरू)	एथलेटिक्स	18
5	रा. गोवर्धन उ. मा. वि. नाथद्वारा (राजसमन्द)	कुश्ती	15
6	रा. उ. मा. वि. मल्टीपर्पज, श्रीगंगानगर	जूडो	16
7	रा. जवाहरलाल नेहरू उ. मा. वि. भीममण्डी, कोटा	हॉकी	20
8	रा. फतह उ. मा. वि. ,उदयपुर	हॉकी	20
9	रा. फतह उ. मा. वि. ,उदयपुर	बास्केटबाल	15
<b>छात्रा वर्ग</b>			
1	रा. महारानी बा. उ. मा. वि. बनीपार्क, जयपुर	वॉलीबाल	15
2	रा. महारानी बा. उ. मा. वि., बीकानेर	बास्केटबाल	15
3	रा. महारानी बा. उ. मा. वि. ,बीकानेर	वॉलीबाल	15
4	रा. बा. उ. मा. वि. राजमहल,जोधपुर	जिम्नारिस्टिक	15

विभाग द्वारा उक्त केन्द्रों पर प्रवेशोपरान्त प्रशिक्षणरत प्रत्येक छात्र छात्रा खिलाड़ियों को निम्न प्रकार से छात्रवृत्ति प्रतिमाह प्रति खिलाड़ी स्वीकृत की जावेगी :-

01	वे छात्र छात्रा खिलाड़ी जो राजस्थान राज्य के अन्य जिले से आकर संस्था प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाये गये निर्धारित छात्रावास में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।	1250 रु
02	वे छात्र छात्रा खिलाड़ी जो जिले के अन्य स्थानों से आकर संस्था प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाये गये निर्धारित छात्रावास में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।	1000 रु
03	वे छात्र छात्रा खिलाड़ी जो स्थानीय हैं, जिन्होंने विधालयी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया हो तथा विधालय में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।	500 रु
04	वे स्थानीय खिलाड़ी जो उक्त केन्द्रों पर प्रशिक्षण हेतु चयनित हुए हो तथा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।	250 रु

नोट:- उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 एवं 2 के लिए छात्रावास उपलब्ध न होने की स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा छात्रवृत्ति प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि जिन अभ्यर्थियों को छात्रावास उपलब्ध नहीं कराया जा सका है वे संस्था प्रधान के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद अन्य स्थान पर निवास कर रहे हैं । यह भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि ये अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में अपने अभिभावक के साथ निवास नहीं कर रहे हैं ।



## इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है :-

01. छात्र संस्थाओं में केवल छात्र एवं छात्रा संस्थानों में केवल छात्र ही प्रवेश हेतु पात्र हैं।
02. यदि किसी छात्र/छात्रा के अभिभावक सम्बन्धित जिले में ही पदस्थापित है तो उसे जिले का निवासी मानते हुए छात्रवृत्ति देय होगी।
03. यदि किसी छात्र/छात्रा के अभिभावक प्रशिक्षण स्थल के शहर में पदस्थापित है तो उसे स्थानीय विधार्थी माना जावेगा एवं तदनुसार ही उसे छात्रवृत्ति देय होगी।

## सत्र 2018-19 हेतु निम्नांकित मुख्य निर्देश पुनः प्रदान किये जाते हैं :-

01. दिनांक 15-07-2018 तक सभी सम्बद्ध संस्था प्रधान अपने केन्द्र पर प्रवेश हेतु पूर्ण प्रचार प्रसार करें। इस हेतु समाचार पत्रों में अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावे क्योंकि निदेशालय द्वारा राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जावेगी।
02. अभ्यर्थियों के तकनीकी कौशल एवं शारीरिक क्षमता के परीक्षण की प्रक्रिया निर्धारण करने के लिए 23.07.2018 को निर्धारित चयन समिति की बैठक आयोजित करेंगे। अभ्यर्थियों के तकनीकी कौशल एवं शारीरिक क्षमता के परीक्षण का कार्य दिनांक 24.07.2018 को प्रातः 09 बजे से दिनांक 26.07.2018 तक चयन समिति द्वारा किया जावेगा। चयन समिति के सदस्यों की सूची एवं मानदण्ड परिशिष्ट 'क' पर संलग्न हैं। चयन समिति के सदस्यों को उक्त समय से पूर्व सूचित करने का उत्तरदायित्व केन्द्राध्यक्ष का होगा।
03. चयनित खिलाड़ियों की सूची दिनांक 26.07.2018 को सायंकाल 05 बजे तक अनिवार्यतः सम्बन्धित केन्द्राध्यक्ष द्वारा धोषित कर दी जावे एवं विधालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावे।
04. केन्द्र पर चयनित खिलाड़ियों की प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रियाएँ विभागीय नियमानुसार दिनांक 30.07.2018 तक पूरी कर ली जावे।
05. चयनित खिलाड़ी अगर 30.07.2018 तक उपस्थित नहीं होते हैं तो इनकी जगह आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों को वरियतानुसार आमंत्रित कर दिनांक 31.07.2018 तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावे। इस तिथि के उपरान्त इस योजनान्तर्गत किसी भी खिलाड़ी को प्रवेश नहीं दिया जावे तथा स्थान रिक्त रहने पर भी प्रवेश प्रक्रिया नहीं की जावे।
06. केन्द्र पर चयनित खिलाड़ियों की अंतिम सूची, आरक्षित सूची एवं छात्रवृत्ति प्रस्ताव निदेशालय द्वारा पूर्व निर्धारित प्रारूपों एवं दो प्रतियों में दिनांक 08.08.2018 तक निदेशालय को वाहक स्तर पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जावे।
07. केन्द्र पर चयनित छात्र-छात्रा जो कक्षा 10 व 12 के विधार्थी हैं, को खेलकूद छात्रवृत्ति दिनांक 01.08.2018 से 31.03.2018 तक एवं अन्य कक्षा के विधार्थियों को उक्त छात्रवृत्ति दिनांक 01.08.2018 से सत्र समाप्ति तक नियमानुसार देय होगी।
08. राज्य में अध्ययन करने वाले उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विधालयों की कक्षाओं के विधार्थी जिनकी आयु 31.12.2018 तक (जिनकी जन्मतिथि 01-01-2000 या उसके पश्चात की हो) 19 वर्ष या 19 वर्ष से कम हो, उच्च प्राथमिक विधालयों की कक्षाओं के विधार्थी जिनकी आयु दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम हो केन्द्र (विधालयों) में खेल विशेष के चयन परीक्षण में भाग ले सकते हैं।
09. स्थानीय अभ्यर्थियों के अलावा प्रशिक्षणार्थ आने वाले अभ्यर्थियों हेतु केन्द्राध्यक्ष द्वारा छात्रावास व्यवस्था की जानी वांछनीय है, स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान नहीं की जावे। संस्था प्रधान द्वारा छात्रावास उपलब्ध न कराने पर वह इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को जारी करेगा व छात्रवृत्ति भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र/छात्रा स्थानीय नहीं हैं व अभिभावक के साथ नहीं रहता/रहती है।
10. कक्षा 6 से 12 तक के विधार्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में पूर्व की भाँति ही खेलवार निर्धारित संख्या के ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जावे। जिन केन्द्रों में कक्षा 6 से 8 तक की अध्ययन सुविधा (व्यवस्था) नहीं है तो ऐसे केन्द्र अपने निकट के विधालयों में इन छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिलवावे। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) केन्द्र का संस्था प्रधान एवं जिस विधालय में इन छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है, उनका संस्था प्रधान, तीनों मिलकर अध्ययन व्यवस्था करेंगे। इस क्रम में प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व निदेशालय को भेजकर केन्द्राध्यक्ष स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
11. राज्य स्तरीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दल गठन हेतु खेल विशेष के खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या में चयन न होने की स्थिति में सम्बद्ध खेल के किसी भी खिलाड़ी को प्रवेश हेतु चयन न किया जावे तथा इस आशय की सूचना केन्द्राध्यक्ष द्वारा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को प्रेषित की जावे।

५ २१२

12. योजनान्तर्गत खिलाड़ियों का चयन अन्तिम रूप से करने से पूर्व सम्बन्धित केन्द्राध्यक्ष खिलाड़ियों की आयु का प्रमाणीकरण अधिकृत चिकित्सक से अवश्य करा लेवे । इस पर केन्द्राध्यक्ष विशेष रूप से ध्यान दे । राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिता के समय अगर केन्द्र पर अध्ययनरत खिलाड़ी अधिक आयु के कारण अयोग्य पाया गया तो पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्राध्यक्ष का होगा ।
13. केन्द्र पर विद्यार्थी का प्रवेश केवल एक वर्ष सत्र 2018-19 के लिए ही मान्य होगा ।
14. योजना के अन्तर्गत चयनित खिलाड़ियों को प्रवेश देने से पूर्व संस्था प्रधान विद्यार्थियों से यह अनुबन्ध करा लेवे कि वे सत्र भर केन्द्र पर प्रशिक्षणरत रहते हुए विधालयी राज्य/राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्राथमिकता के आधार पर भाग लेंगे, ऐसा न करने पर उनकी छात्रवृत्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जावेगी ।
15. यदि किन्हीं विशेष परिस्थितिवश कोई अभ्यर्थी केन्द्र छोड़ने हेतु विवश हो तो केन्द्राध्यक्ष निदेशालय से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रशिक्षणार्थी को केन्द्र छोड़ने की अनुमति प्रदान कर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी. सी.) प्रदान करेंगे। प्रशिक्षणार्थी को छात्रवृत्ति उतनी अवधि की ही देय होगी जितनी अवधि तक केन्द्र पर अध्ययनरत एवं प्रशिक्षणरत रहा है ।
16. केन्द्रार्थ चयनित अभ्यर्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके इस हेतु केन्द्राध्यक्ष अन्तिम प्रवेश तिथि पश्चात् छात्रवृत्ति के प्रस्ताव 08.08.2018 तक वाहक के साथ दो प्रतियों में उपनिदेशक खेलकूद माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। जब तक निदेशालय द्वारा छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जावे तब तक चयनित खिलाड़ियों को विधालय के छात्रकोष मद से छात्रवृत्ति का भुगतान करें। ज्योंहि छात्रवृत्ति की स्वीकृति के आदेश आपको प्राप्त हो जावे त्योंहि आप द्वारा छात्र कोष से भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि का समयोजन सम्बन्धित मद से कर निदेशालय को अवगत करावें।
17. केन्द्राध्यक्ष केन्द्र पर कार्यरत प्रशिक्षक/प्रभारी से केन्द्र की वार्षिक योजना दिनांक 06.08.2018 तक तैयार करवा लेवे और उक्त की स्वयं जाँच करलें, तत्पश्चात् 08.08.2018 तक ये योजना वाहक स्तर से निदेशालय को भिजवावें । प्रशिक्षण कार्य का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक प्रशिक्षक से प्राप्त कर उनकी जाँच केन्द्राध्यक्ष स्वयं कर अपने अग्रेषण पत्र द्वारा निदेशालय को तत्काल प्रेषित करें ।
18. उक्त केन्द्र योजना की प्रभावी क्रियान्विति हेतु इन निर्देशों, नियमावली, मानदण्ड, समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही करें । साथ ही इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/खेलकूद-4/35051/मुख्य/2003-04 दिनांक 10-7-2003 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में इस सत्र की समस्त वांछित सूचना प्रेषित करें ।

प्रशिक्षण योजना की महत्ता के मद्देनजर शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें । इस सम्बन्ध में समय समय पर अवगति अधोहस्ताक्षरकर्ता को देते रहे ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/खेलकूद-1/35051/सत्र पर्यन्त-मुख्य/2018-19/

दिनांक: 22/06/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
02. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा ।
03. प्रधानाचार्य सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर ।
04. प्रधानाचार्य राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविधालय जोधपुर ।
05. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा ।
06. समस्त उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) ।
07. समस्त केन्द्राध्यक्ष एवं संस्था प्रधान सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र ।
08. रक्षित पत्रावली ।

(प्रकाश चन्द्र जाटोलिया)

उप निदेशक (खेलकूद)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

**सत्र पर्यन्त खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र योजना के अन्तर्गत खिलाड़ियों के चयन हेतु  
चयन समिति व निर्धारित मानदण्ड**

**चयन समिति:-**

1	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) "नोडल अधिकारी"	अध्यक्ष
2	संबंधित जिले का उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा)	सदस्य
3	केन्द्र का प्रशिक्षक	सदस्य
4	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा मनोनीत पर्यवेक्षक एवं सदस्य	सदस्य
5	संस्था प्रधान (केन्द्राधीक्षक)	सदस्य सचिव

**चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड :-**

सत्र पर्यन्त खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र योजना के अन्तर्गत खिलाड़ियों के चयन हेतु 'निर्धारित मानदण्ड' निम्न प्रकार से निश्चित किया गया है जिसके अनुसार चयन हेतु अंकतालिका निम्न प्रकार से होगी । कुल अंक 100 होंगे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

**(क) प्रमाण पत्र के अधिकतम कुल अंक - 30**

1	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले को	30 अंक
2	राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	25 अंक
3	राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व पर	20 अंक
4	राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर	18 अंक
5	राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने पर	15 अंक
6	जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त को	13 अंक

**नोट :-** आशार्थी जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है उसमें उच्चतम खेल योग्यता के प्रमाण पत्र के ही अंक जोड़े जावें । अन्य खेल योग्यता प्रमाण पत्र के नहीं ।

**(ख) तकनीकी कौशल के अंक - 35**

विभिन्न खेलों की तकनीक भिन्न भिन्न होती है । अतः संबंधित चयन समिति खेलानुसार उपयुक्त निर्धारित परीक्षण प्रणाली अनुसार तालिका तैयार कर, तदनुसार तकनीकी कौशल के अंक का अंक विभाजन करें ।

**(ग) शारीरिक क्षमता के अंक - 35**

शारीरिक क्षमता के अन्तर्गत राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान की सर्वमान्य बैटरी में वर्णित तालिका के आयुवर्ग के अनुसार क्षमता परीक्षण लिया जाकर दिये जाने वाले अंक इस प्रकार हैं :-

1	तीन स्टार प्राप्त करने वाले विधार्थी को	35 अंक
2	दो स्टार प्राप्त करने वाले विधार्थी को	25 अंक
3	एक स्टार प्राप्त करने वाले विधार्थी को	15 अंक

**नोट :-** जो आशार्थी तकनीकी कौशल एवं शारीरिक क्षमता की परीक्षाओं में 15-15 अंक से कम अंक प्राप्त करें उन्हें प्रवेश नहीं दिया जावे । उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया जावे जो खिलाड़ी सत्र 2018-19 की राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निश्चित रूप से उपलब्धियों अर्जित कर सकें । खिलाड़ियों के चयन का उद्देश्य मात्र स्थान पूर्ति ही न हो । वरन् उसका उद्देश्य खेल प्रतिभा का परिष्कार हो ।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

राज्य में विद्यालयी खेलों के स्तर का उन्नयन करने की दृष्टि से वीर तेजा महिला शिक्षण संस्थान, मारवाड मून्डवा (नागौर) में खेल जिम्नार्स्टिक छात्रा में भी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सत्र पर्यन्त खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र की योजना सत्र 2018-19 से प्रारंभ की जाती है। इस केन्द्र में छात्रा खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या 15 होगी।

विभाग द्वारा उक्त केन्द्र पर प्रवेशोपरान्त प्रशिक्षणार्थ प्रत्येक छात्रा खिलाड़ियों को निम्न प्रकार से छात्रवृत्ति प्रतिमाह प्रति खिलाड़ी स्वीकृत की जावेगी :-

01	वे छात्रा खिलाड़ी जो राजस्थान राज्य के अन्य जिले से आकर संस्था प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाये गये निर्धारित छात्रावास में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।	1250 रु
02	वे छात्रा खिलाड़ी जो जिले के अन्य स्थानों से आकर संस्था प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाये गये निर्धारित छात्रावास में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।	1000 रु
03	वे छात्रा खिलाड़ी जो स्थानीय हैं, जिन्होंने विद्यालयी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया हो तथा विद्यालयी में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।	500 रु
04	वे स्थानीय खिलाड़ी जो उक्त केन्द्रों पर प्रशिक्षण हेतु चयनित हुए हो तथा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।	250 रु

**नोट:-** उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 एवं 2 के लिए छात्रावास उपलब्ध न होने की स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा छात्रवृत्ति प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि जिन अभ्यर्थियों को छात्रावास उपलब्ध नहीं कराया जा सका है वे संस्था प्रधान के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद अन्य स्थान पर निवास कर रहे हैं। यह भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि ये अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में अपने अभिभावक के साथ निवास नहीं कर रहे हैं।

**इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है :-**

01. इस सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र में केवल छात्राएं ही प्रवेश हेतु पात्र हैं।
02. यदि किसी छात्रा के अभिभावक सम्बन्धित जिले में ही पदस्थापित है तो उसे जिले का निवासी मानते हुए छात्रवृत्ति देय होगी।
03. यदि किसी छात्रा के अभिभावक प्रशिक्षण स्थल के शहर में पदस्थापित है तो उसे स्थानीय विधार्थी माना जावेगा एवं तदनुसार ही उसे छात्रवृत्ति देय होगी।

**सत्र 2018-19 हेतु निम्नांकित मुख्य निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-**

01. प्रधानाचार्य, वीर तेजा महिला शिक्षण संस्थान, मारवाड मून्डवा (नागौर) अपने केन्द्र पर प्रवेश हेतु पूर्ण प्रचार-प्रसार करें। इस हेतु समाचार पत्रों में अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावे, क्योंकि निदेशालय द्वारा राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी।
02. अभ्यर्थियों के तकनीकी कौशल एवं शारीरिक क्षमता के परीक्षण की प्रक्रिया निर्धारण करने के लिए 23-07-2018 को निर्धारित चयन समिति की बैठक आयोजित करेंगे। अभ्यर्थियों के तकनीकी कौशल एवं शारीरिक क्षमता के परीक्षण का कार्य दिनांक 24-07-2018 को प्रातः 09 बजे से दिनांक 26-07-2018 तक चयन समिति द्वारा किया जावेगा। चयन समिति के सदस्यों की सूची एवं मानदण्ड परिशिष्ट 'क' पर संलग्न हैं। चयन समिति के सदस्यों को उक्त समय से पूर्व सूचित करने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य, वीर तेजा महिला शिक्षण संस्थान, मारवाड मून्डवा (नागौर) का होगा।
03. चयनित खिलाड़ियों की सूची दिनांक 26-07-2018 को सायंकाल 05 बजे तक अनिवार्यतः सम्बन्धित केन्द्राध्यक्ष द्वारा धोषित कर दी जावे एवं विद्यालयी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावे।
04. केन्द्र पर चयनित खिलाड़ियों की प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रियाएँ विभागीय नियमानुसार दिनांक 30-07-2018 तक पूरी कर ली जावे।

05. चयनित खिलाड़ी अगर 30-07-2018 तक उपस्थित नहीं होते हैं तो इनकी जगह आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों को वरियतानुसार आमंत्रित कर दिनांक 31-07-2018 तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावे। इस तिथि के उपरान्त इस योजनान्तर्गत किसी भी खिलाड़ी को प्रवेश नहीं दिया जावे तथा स्थान रिक्त रहने पर भी प्रवेश प्रक्रिया नहीं की जावे।
06. केन्द्र पर चयनित खिलाड़ियों की अंतिम सूची, आरक्षित सूची एवं छात्रवृत्ति प्रस्ताव निदेशालय द्वारा पूर्व निर्धारित प्रारूपों एवं दो प्रतियों में दिनांक 08-08-2018 तक निदेशालय को वाहक स्तर पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जावे।
07. केन्द्र पर चयनित छात्रा जो कक्षा 10 व 12 के विधार्थी है, को खेलकूद छात्रवृत्ति दिनांक 01-08-2018 से 31-03-2019 तक एवं अन्य कक्षा के विधार्थियों को उक्त छात्रवृत्ति दिनांक 01-08-2018 से सत्र समाप्ति तक नियमानुसार देय होगी।
08. राज्य में अध्ययन करने वाले उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयी की कक्षाओं के विधार्थी जिनकी आयु 31-12-2018 तक (जिनकी जन्मतिथि 01-01-2000 या उसके पश्चात की हो) 19 वर्ष या 19 वर्ष से कम हो, उच्च प्राथमिक विद्यालयी की कक्षाओं के विधार्थी जिनकी आयु दिनांक 31-12-2018 तक 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम हो केन्द्र (विद्यालयी) में खेल विशेष के चयन परीक्षण में भाग ले सकते हैं।
09. स्थानीय अभ्यर्थियों के अलावा प्रशिक्षणार्थ आने वाले अभ्यर्थियों हेतु केन्द्राध्यक्ष द्वारा छात्रावास व्यवस्था की जानी वांछनीय है, स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान नहीं की जावे। संस्था प्रधान द्वारा छात्रावास उपलब्ध न कराने पर वह इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को जारी करेगा व छात्रवृत्ति भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रा स्थानीय नहीं है व अभिभावक के साथ नहीं रहती है।
10. कक्षा 6 से 12 तक के विधार्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में पूर्व की भौति ही खेलवार निर्धारित संख्या के ही छात्राओं को प्रवेश दिया जावे। जिन केन्द्रों में कक्षा 6 से 8 तक की अध्ययन सुविधा (व्यवस्था) नहीं है तो ऐसे केन्द्र अपने निकट के विद्यालयी में इन छात्राओं को प्रवेश दिलवाये। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) केन्द्र का संस्था प्रधान एवं जिस विद्यालयी में इन छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है, उनका संस्था प्रधान, तीनों मिलकर अध्ययन व्यवस्था करेगे। इस क्रम में प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व निदेशालय को भेजकर केन्द्राध्यक्ष स्वीकृति प्राप्त करेगे।
11. राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दल गठन हेतु खेल विशेष के खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या में चयन न होने की स्थिति में सम्बद्ध खेल के किसी भी खिलाड़ी को प्रवेश हेतु चयन न किया जावे तथा इस आशय की सूचना केन्द्राधीक्षक द्वारा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को प्रेषित की जावे।
12. योजनान्तर्गत खिलाड़ियों का चयन अन्तिम रूप से करने से पूर्व सम्बन्धित केन्द्राध्यक्ष खिलाड़ियों की आयु का प्रमाणीकरण अधिकृत चिकित्सक से अवश्य करा लेवे। इस पर केन्द्राध्यक्ष विशेष रूप से ध्यान दे। राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिता के समय अगर केन्द्र पर अध्ययनरत खिलाड़ी अधिक आयु के कारण अयोग्य पाया गया तो पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्राध्यक्ष का होगा।
13. केन्द्र पर विधार्थी का प्रवेश केवल एक वर्ष सत्र 2018-19 के लिए ही मान्य होगा।
14. योजना के अन्तर्गत चयनित खिलाड़ियों को प्रवेश देने से पूर्व संस्था प्रधान विधार्थियों से यह अनुबन्ध करा लेवे कि वे सत्र भर केन्द्र पर प्रशिक्षणरत रहते हुए विद्यालयी राज्य/राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्राथमिकता के आधार पर भाग लेंगे, ऐसा न करने पर उनकी छात्रवृत्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जावेगी।
15. यदि किन्हीं विशेष परिस्थितिवश कोई अभ्यर्थी केन्द्र छोड़ने हेतु विवश हो तो केन्द्राध्यक्ष निदेशालय से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रशिक्षणार्थी को केन्द्र छोड़ने की अनुमति प्रदान कर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी. सी.) प्रदान करेगे। प्रशिक्षणार्थी को छात्रवृत्ति उतनी अवधि की ही देय होगी जितनी अवधि तक केन्द्र पर अध्ययनरत एवं प्रशिक्षणरत रहा है।
16. केन्द्रार्थ चयनित अभ्यर्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके इस हेतु केन्द्राध्यक्ष अन्तिम प्रवेश तिथि पश्चात् छात्रवृत्ति के प्रस्ताव 08-08-2018 तक वाहक के साथ दो प्रतियों में उप निदेशक खेलकूद माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। जब तक निदेशालय द्वारा छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जावे तब तक चयनित खिलाड़ियों को विद्यालयी के छात्रकोष मद से छात्रवृत्ति का भुगतान करें। ज्योंहि छात्रवृत्ति की स्वीकृति के आदेश आपको प्राप्त हो जावे त्योंहि आप द्वारा छात्र कोष से भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि का समयोजन सम्बन्धित मद से कर निदेशालय को अवगत करावे।



17. केन्द्राध्यक्ष केन्द्र पर कार्यरत प्रशिक्षक/प्रभारी से केन्द्र की वार्षिक योजना दिनांक 06-08-2018 तक तैयार करवा लेवे और उक्त की स्वयं जाँच करलें, तत्पश्चात 08-08-2018 तक ये योजना वाहक स्तर से निदेशालय को भिजवावें। प्रशिक्षण कार्य का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पौँच तारीख तक प्रशिक्षक से प्राप्त कर उनकी जाँच केन्द्राध्यक्ष स्वयं कर अपने अग्रेषण पत्र द्वारा निदेशालय को तत्काल प्रेषित करें।

18. उक्त केन्द्र योजना की प्रभावी क्रियान्विति हेतु इन निर्देशों, नियमावली, मानदण्ड, समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही करें। साथ ही इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/खेलकूद-4/35051/मुख्य/2003-04 दिनांक 10-7-2003 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में इस सत्र की समस्त वांछित सूचना प्रेषित करें।

प्रशिक्षण योजना की महत्ता के मद्देनजर शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में समय समय पर अवगति अधोहस्ताक्षरकर्ता को देते रहे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/खेलकूद-1/35051/सत्र पर्यन्त-मुख्य/2018-19/  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक: 29/06/18

01. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
02. समस्त उप निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
03. प्रधानाचार्य सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर।
04. प्रधानाचार्य राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयी जोधपुर।
05. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
06. प्रधानाचार्य, वीर तेजा महिला शिक्षण संस्थान, मारवाड मून्डवा (नागौर)।
07. समस्त उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा)।
08. समस्त केन्द्राध्यक्ष एवं संस्था प्रधान सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र।
09. रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक (खेलकूद)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

**सत्र पर्यन्त खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र योजना के अन्तर्गत खिलाड़ियों के चयन हेतु  
चयन समिति व निर्धारित मानदण्ड**

**चयन समिति:-**

1	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) "नोडल अधिकारी"	अध्यक्ष
2	संबंधित जिले का उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा)	सदस्य
3	केन्द्र का प्रशिक्षक	सदस्य
4	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा मनोनीत पर्यवेक्षक एवं सदस्य	सदस्य
5	संस्था प्रधान (केन्द्राधीक्षक)	सदस्य सचिव

**चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड :-**

सत्र पर्यन्त खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र योजना के अन्तर्गत खिलाड़ियों के चयन हेतु 'निर्धारित मानदण्ड' निम्न प्रकार से निश्चित किया गया है जिसके अनुसार चयन हेतु अंकतालिका निम्न प्रकार से होगी । कुल अंक 100 होंगे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

**(क) प्रमाण पत्र के अधिकतम कुल अंक - 30**

1	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले को	30 अंक
2	राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	25 अंक
3	राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व पर	20 अंक
4	राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर	18 अंक
5	राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने पर	15 अंक
6	जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त को	13 अंक

**नोट :-** आशार्थी जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है उसमें उच्चतम खेल योग्यता के प्रमाण पत्र के ही अंक जोड़े जावें । अन्य खेल योग्यता प्रमाण पत्र के नहीं ।

**(ख) तकनीकी कौशल के अंक - 35**

विभिन्न खेलों की तकनीक भिन्न भिन्न होती है । अतः संबंधित चयन समिति खेलानुसार उपयुक्त निर्धारित परीक्षण प्रणाली अनुसार तालिका तैयार कर, तदनुसार तकनीकी कौशल के अंक का अंक विभाजन करें ।

**(ग) शारीरिक क्षमता के अंक - 35**

शारीरिक क्षमता के अन्तर्गत राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान की सर्वमान्य बैटरी में वर्णित तालिका के आयुवर्ग के अनुसार क्षमता परीक्षण लिया जाकर दिये जाने वाले अंक इस प्रकार है :-

1	तीन स्टार प्राप्त करने वाले विधार्थी को	35 अंक
2	दो स्टार प्राप्त करने वाले विधार्थी को	25 अंक
3	एक स्टार प्राप्त करने वाले विधार्थी को	15 अंक

**नोट :-** जो आशार्थी तकनीकी कौशल एवं शारीरिक क्षमता की परीक्षाओं में 15-15 अंक से कम अंक प्राप्त करें उन्हें प्रवेश नहीं दिया जावे । उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया जावे जो खिलाड़ी सत्र 2018-19 की राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निश्चित रूप से उपलब्धियाँ अर्जित कर सकें । खिलाड़ियों के चयन का उद्देश्य मात्र स्थान पूर्ति ही न हो । वरन् उसका उद्देश्य खेल प्रतिभा का परिष्कार हो ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर



# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर

## —: कार्यालय आदेश :—

राजस्थान राज्य की विधालयों में विधालयी खिलाड़ी छात्रों को प्रोत्साहन देने एवं राज्य के खेल विकास को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित छात्रावासों में प्रवेश सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गत वर्षों की भाँति वर्ष 2018-19 में भी प्रवेश यथावत होंगे :-

क्र.स	विद्यालय का नाम	खेल का नाम	खिलाड़ी सं०
1	राजकीय नूतन उ. मा. वि. बॉसवाड़ा	हैंडबॉल एथलेटिक्स	15 15
2	राजकीय वोकेशनल उ. मा. वि. नयापुरा, कोटा	फुटबाल	20

शिक्षा विभागीय खेल छात्रावासों का उद्देश्य उदीयमान खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें खेल विशेष में आधुनिकतम व वैज्ञानिक विधि से खेल तकनीकी का प्रशिक्षण देकर उच्च स्तर के खिलाड़ी को तैयार करना है, जो कि राज्य एवं देश के लिए उपलब्धियाँ अर्जित कर सके। इस और भी ध्यान रखना है कि खेल विशेष की योग्यता में सुधार के साथ-साथ उच्च कोटि की शिक्षा भी खिलाड़ी छात्र प्राप्त कर सके। शिक्षा विभागीय खेल छात्रावासों में प्रवेश प्राप्त करने वाले राजस्थान के मूल निवासी एवं राज्य में अध्ययनरत चयनित खिलाड़ी अभ्यर्थियों को निम्न सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी :-

01. नि:शुल्क आवास व्यवस्था।

02. बोर्डिंग सुविधा हेतु प्रति खिलाड़ी प्रतिमाह तीन हजार रुपये।

03. बोर्ड परीक्षा शुल्क, विधालयी शुल्क, स्टेशनरी एवं पुस्तकों हेतु प्रति खिलाड़ी एक हजार रुपये प्रति सत्र प्रति खिलाड़ी एवं खेल गणवेश हेतु प्रति छात्र खिलाड़ी दो हजार रुपये।

04. खेल छात्रावास पर चयनित कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले खिलाड़ी छात्रों को प्रवेश लेने की तिथि से 31 मार्च 2019 तक बोर्डिंग सुविधाओं के अन्तर्गत भुगतान नियमानुसार देय होगा। शेष कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त चयनित खिलाड़ी छात्रों को उक्त बोर्डिंग सुविधा का लाभ प्रवेश लेने की तिथि से सत्र समाप्ति तक देय होगा।

शिक्षा विभागीय खेल छात्रावासों में खिलाड़ी विधार्थियों को प्रवेश देने हेतु प्रवेश प्रक्रिया नियमावली सत्र 1994-95 के अनुसार एवं सत्र 2001-02 से प्रवेश नियमों में संशोधनानुसार करणीय कार्यवाही की जावे। इन नियमों का सतर्कता एवं गंभीरता से पालन किया जावे। शिक्षा विभागीय खेल छात्रावासों में चयन व प्रवेश प्रक्रिया निम्नांकित तिथियों व कार्यक्रमानुसार सुनिश्चित की जावे।

01. खिलाड़ियों का चयन परीक्षण दिनांक 24.07.2018 से 26.07.2018 तक

02. चयनित खिलाड़ियों हेतु जारी की जाने वाली सूची दिनांक 26.07.2018 को सांय 05 बजे तक

03. चयनित खिलाड़ियों द्वारा खेल छात्रावासों पर प्रवेश लेने की दिनांक 30.07.2018 तक

04. चयनित खिलाड़ियों द्वारा खेल छात्रावासों पर प्रवेश लेने की दिनांक 30.07.2018 तक प्रवेश न लेने पर आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों को वरियतानुसार आमंत्रित कर प्रवेश देने की अन्तिम दिनांक 31.07.2018 होगी।

राज्य स्तरीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दल गठन हेतु खेल विशेष के खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या में चयन न होने की स्थिति में समबद्ध खेल के किसी भी खिलाड़ी को प्रवेश हेतु चयन न किया जावे तथा इस आशय की सूचना केन्द्राधीक्षक द्वारा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को प्रेषित की जावे।

शिक्षा विभागीय खेल छात्रावास से सम्बन्धित संस्था प्रधान से अपेक्षा की जाती हैं कि वे इन खेल छात्रावास में दिनांक 24.07.2018 से 26.07.2018 तक प्रवेश हेतु विधार्थियों को आकर्षित करने के लिए पूर्ण प्रचार प्रसार करेंगे । लेकिन समाचार पत्रों में अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे । खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु पूर्व की भौति व्यवस्था कर करणीय कार्यवाही करते हुए प्रगति से समय समय पर निदेशालय को अवगति देंगे । साथ ही इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/खेलकूद-4/35654/03-04/11 दिनांक 10-07-03 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस सत्र की सूचना भी शीघ्र प्रेषित करेंगे ।

**नोट :-** छात्रावासों में चयनित खिलाड़ियों की अन्तिम सूची, आरक्षित सूची एवं छात्रवृत्ति प्रस्ताव निदेशालय द्वारा पूर्व निर्धारित प्रारूपों एवं दो प्रतियों में दिनांक 08.08.2018 तक निदेशालय को वाहक स्तर पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जावे ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/खेलकूद-1/35654/छात्रावास-मुख्य/2018-19/  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

दिनांक 27/06/18

01. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
02. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा ।
03. प्रधानाचार्य सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर ।
04. प्रधानाचार्य राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविधालय जोधपुर ।
05. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा ।
06. समस्त उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) ।
07. समस्त केन्द्राध्यक्ष एवं संस्था प्रधान, खेल छात्रावास ।
08. रक्षित पत्रावली ।



(प्रकाश चन्द्र जाटोलिया)  
उप निदेशक (खेलकूद)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर